शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
Phone: 0172-2590505
Fax : 0172-2586026
HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)

प्रेषकः

राज्य परियोजना निदेशक,
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्,
पंचकुला।

सेवा में,

राज्य के सभी
1. जिला शिक्षा अधिकारी,
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
3. प्रधानाचार्य DIET & GETTI
4. उप जिला शिक्षा अधिकारी,
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी,
6. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी,
7. स्कूल मुखिया/प्रभारी (सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय)

यादी क्रमांक - RTE/SSA - 36633-36952
दिनांकः- 6.1.2015

विषयः- **"बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम के आलोक में।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि दिनांक 22.01.2015 को पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा **"बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ"** कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जा रहा है। घटता लिंगानुपात और कम बालिका जन्म दर हरियाणा के लिए जवलंत मुद्दा है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे है। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा भी इस कार्यक्रम की जागरूकता हेतु विद्यालय स्तर पर निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, सलोगन लेखन प्रतियोगिता तथा पेन्टिग प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। इसका आयोजन राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में दिनांक 15.01.2015 को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। **(इस प्रतियोगिता में अपने-अपने वर्ग में तथा तीनों प्रतियोगिताओं में से किसी एक प्रतियोगिता में राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों का भाग लेना अनिवार्य है।)** आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देश साथ संलग्न है तथा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जन्म दर, लिंगानुपात, बालिका शिक्षा के सन्दर्भ में हरियाणा राज्य के जिलावार, खण्ड/गांव एवं नगर सम्बन्धित आकड़े विभाग की वेबसाइट www.schooleducationlharyana.gov.in, www.harprathmik.gov.in पर उपलब्ध करवा दिए गये हैं। इस सम्बन्ध में आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देश, प्रक्रिया, आयोजन

का समय, निर्णायक मण्डल एवं मूल्याकंन प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी जानकारी के लिए आप कृपया उपरोक्त वेबसाइट देखें। आपको यह निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्राधिकार में इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाकर अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 15.01.2015 को उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाएं।

संलग्नः– उपरोक्तनुसार

आलोक वर्मा 6/1/15
राज्य परियोजना निदेशक
ह.स्कू.शि.प.प. पंचकुला

पृष्ठांकन समः क्रमांक – 36953 - 57 **दिनांक 6.1.2015**

उपरोक्त की एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निजि सचिव, निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला।
3. निजि सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् गुड़गांव।
5. Technology Officer IT. Cell o/o DSE & DEE

आलोक वर्मा 6/1/15
राज्य परियोजना निदेशक
ह.स्कू.शि.प.प. पंचकुला

विषयः– **"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" अभियान के अन्तर्गत विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के सन्दर्भ में आवश्यक दिशा–निर्देश।**

क्रमांकः– आर0टी0ई0/एस0एस0ए0–36633–36952 **दिनांकः–06.01.2015**

दिनांक 22.01.2015 को पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री महोदय **"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ"** कार्यक्रम का शुभारम्भ कर रहे हैं। इस विषय पर विद्यालय स्तर पर निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता तथा पेन्टिग प्रतियोगिता दिनांक 15.01.2015 को राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में निम्न वर्गों में विभाजित कर आयोजित की जाएगी। इसमें सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के सभी बच्चे अपने अपने वर्ग की किसी न किसी एक प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें।

1. **निबन्ध लेखन प्रतियोगिता**

क्र0	वर्ग	कक्षा	समय सीमा	शब्द सीमा
1	I	कक्षा 6 से 8	60 मिनट	250–500 शब्द
2	II	कक्षा 9 से 12	60 मिनट	500–800 शब्द

निबन्ध लेखन के मुख्य बिन्दुः–

- निबन्ध लिखने की भाषा का चुनाव करने के लिए विद्यार्थी स्वतंत्र है। वह अंग्रेजी या हिन्दी में से किसी एक भाषा में निबन्ध लिख सकते हैं।
- निबन्ध प्रतियोगिता का विषय **"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ"** पर आधारित होगा।
- विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) बच्चे को 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा तथा उसकी आवश्यकतानुसार सहायक उपलब्ध करवाया जाएगा।
- प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में प्रातः 11:00 बजे आरम्भ होगा तथा समय सीमा के अनुसार समाप्त होगा।
- निबन्ध के प्रारम्भिंक भाग में प्रतिभागी अपने गांव/नगर, खण्ड तथा जिले की बालिका जन्म दर, लिंगानुपात सम्बन्धित आंकड़ों का उल्लेख अवश्य करेंगें इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

गुणवत्ता

1. सभी प्रतियोगी निबन्ध लेखन की न्यूनतम और अधिकतम शब्द सीमा का पालन करेंगें।
2. सभी प्रतिभागी निश्चित समय सीमा का भी पालन करेंगें।
3. लिखाई स्पष्ट, सुन्दर हो इसका ध्यान रखेगें।
4. निबन्ध सम्बन्धी समझ, दृष्टिकोण तथा साक्ष्यों एवं सूचनाओं का समावेश होना चाहिए।
5. निबन्ध लेखन के लिए A4 size कागज का प्रयोग किया जाए।

2. <u>स्लोगन प्रतियोगिता</u>

क्र0	वर्ग	कक्षा
1	I	कक्षा 6 से 8
2	II	कक्षा 9 से 12

- विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) बच्चे को 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा तथा उसकी आवश्यकतानुसार सहायक उपलब्ध करवाया जाएगा।
- स्लोगन का विषय **"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ"** पर आधारित होगा।
- स्लोगन की भाषा शुद्व पठनीय, सभ्य तथा जनप्रिय होनी चाहिए।
- स्लोगन जन जागरण करने वाला, जनमानस के मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए।
- प्रत्येक प्रतिभागी अधिकतम पांच स्लोगन लिख सकता है।
- लेखन के लिए A4 size कागज का प्रयोग किया जाए।

3. <u>पेन्टिग प्रतियोगिता</u>

क्र0	वर्ग	कक्षा	समय सीमा
1	1	कक्षा 1 से 5	90 मिनट
2	2	कक्षा 6 से 8	90 मिनट
3	3	कक्षा 9 से 12	90 मिनट

- विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) बच्चे को 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा तथा उसकी आवश्यकतानुसार सहायक उपलब्ध करवाया जाएगा।
- पेन्टिग का विषय **"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ"** पर आधारित होगा।
- पेन्टिग ½ चार्ट पेपर पर बनाई जाएगीं व इसके लिए सामग्री (सरकारी विद्यालयों में) मुखिया द्वारा बाल कल्याण निधि (CWF) में उपलब्ध राशि में से करवाई जाएगीं।

यह केवल प्रतिस्पर्धात्मक कार्यकलाप ही नहीं है अपितु यह ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी छात्र–छात्राएं इस अभियान के प्रति अपना जुड़ाव, लगाव, संवेदना, आत्मीयता का रिश्ता बनाऐंगें।

मूल्यांकन प्रकिया (तीनों प्रतियोगिताओं के लिए) :–

1. **विद्यालय स्तर :–** विद्यालय का मुखिया अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता का मूल्यांकन स्कूल स्तरीय कमेटी के द्वारा करवाने के पश्चात् अपने विद्यालय की प्रत्येक वर्ग की तीन श्रेष्ठ प्रविष्टियों को खण्ड स्तरीय मूल्यांकन हेतु बन्द लिफाफे में अगले दिन प्रातः 11:00 बजे तक खण्ड स्तरीय मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष के कार्यालय में जमा करवायेगा।
2. **खण्ड स्तर :–** खण्ड स्तरीय कमेटी सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों से प्राप्त प्रविष्टियों को लिफाफे खोलकर रिकार्ड में दर्ज करेंगी एवं उनके मूल्यांकन हेतु टीम को सौपेंगी। सभी प्राप्त प्रविष्टियों की जांच करने के उपरान्त उन में से प्रत्येक वर्ग की तीन श्रेष्ठ प्रविष्टियों को जिला प्रतियोगिता के लिए बन्द लिफाफे में सील लगाकर जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. **जिला स्तर :–** जिला स्तरीय कमेटी भी प्राप्त प्रविष्टियों का कमेटी से आंकलन करवा कर उसमें से प्रत्येक श्रेणी की तीन श्रेष्ठ प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय कमेटी को सील बन्द लिफाफे में अधीकृत कर्मचारी के माध्यम से निदेशक SCERT के कार्यालय में जमा करवायेगी।
4. **राज्य स्तर :–** राज्य स्तरीय कमेटी सभी जिलों से प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञों को प्रस्तुत करेगी तथा प्रत्येक श्रेणी की तीन प्रविष्टियों प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हेतु चयनित करके परिणाम ई–मेल के माध्यम से माननीय प्रधान सचिव विद्यालय शिक्षा महोदय, निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा तथा महानिदेशक मौलिक शिक्षा को प्रस्तुत करेगी।

निर्णायक मण्डल

1. **विद्यालय स्तर निर्णायक मण्डल** :– सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन उपरान्त तुरन्त विद्यालय मुखिया अपनी अध्यक्षता में प्रतिभागियों की संख्या अनुसार मूल्यांकन कमेटियों का गठन करेगा।
2. **खण्ड स्तर निर्णायक मण्डल** :–

क्र0	पद	अधिकारी
1	अध्यक्ष	खण्ड शिक्षा अधिकारी
2	सचिव	खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी
3	सदस्य	3 हिन्दी तथा 2 अंगेजी भाषा के विशेषज्ञ (सरकारी विद्यालय)
4	सदस्य	3 हिन्दी तथा 2 अंग्रेजी भाषा के विशेषज्ञ (गैर सरकारी विद्यालय)
5	सदस्य	पेन्टिग प्रतियोगिता के लिए 3 अध्यापक तथा 3 प्रवक्ता (Art and Craft and Fine Arts) (सरकारी विद्यालय)गैर सरकारी विद्यालय)
6	सदस्य	पेन्टिग प्रतियोगिता के लिए 3 अध्यापक तथा 3 प्रवक्ता (Art and Craft and Fine Arts) (गैर सरकारी विद्यालय)

नोट :– स्कूलों की संख्या और प्रविष्टियों की संख्या के आलोक में उक्त क्रमांक 3 से 4 में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

3. जिला स्तरीय निर्णायक मण्डल

क्र0	कक्षा 1 से 12 के लिए
1	DEO अध्यक्ष
2	DEEO सचिव (पद खाली होने की स्थिति में DIET Principal सचिव की भूमिका निभाएगें)
3	दो भाषा विशेषज्ञ हिन्दी एवं दो भाषा विशेषज्ञ अंग्रेजी (प्रवक्ता) सरकारी विद्यालय
4	दो भाषा विशेषज्ञ हिन्दी एवं दो भाषा विशेषज्ञ अंग्रेजी (प्रवक्ता) गैर सरकारी विद्यालय
5	पेन्टिग प्रतियोगिता के लिए 3 अध्यापक तथा 3 प्रवक्ता (Art and Craft and Fine Arts) (सरकारी विद्यालय)
6	पेन्टिग प्रतियोगिता के लिए 3 अध्यापक तथा 3 प्रवक्ता (Art and Craft and Fine Arts) (गैर सरकारी विद्यालय)

नोट : कक्षा एक से पांच तथा छः से आठ के लिए मूल्यांकन कमेटियां अलग अलग बनाई जायें तथा परिणाम भी तदानुसार निकाले जायें।

4. राज्य स्तरीय निर्णायक मण्डल

क्र0	पद	अधिकारी
1	अध्यक्ष	सुश्री सुमेधा कटारिया, अतिरिक्त निदेशक
2	सचिव	श्रीमती स्नेह लता, निदेशक SCERT गुडगांव
3	सदस्य	छः भाषा विशेषज्ञ अंग्रेजी एवं हिन्दी (DIET तथा SCERT)
4	सदस्य	छः विशेषज्ञ (Art and Craft and Fine Arts) (DIET तथा SCERT)

समय–सारणी

प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं मूल्यांकन तथा परिणाम हेतु समय सारणीः–

क्र0	स्तर	आयोजन/ प्राप्ति	मूल्यांकन/परिणाम
1	विद्यालय स्तर	15.01.2015	16.01.2015
2	खण्ड स्तर	17.01.2015	17.01.2015 से 18.01.2015
3	जिला स्तर	18.01.2015	19.01.2015
4	राज्य स्तर	19.01.2015	20.01.2015

Avere

नोट :–विद्यालय स्तर से परिणाम 16.01.2015 को अवश्य खण्ड स्तर पर पहुँचे, खण्ड स्तरीय परिणाम 18 जनवरी, 2015 तक जिला स्तर पर पहुँचे, जिला स्तरीय परिणाम 19 जनवरी, 2015 तक निदेशक SCERT कार्यालय में पहुँचे।

निर्णाायक मण्डल को प्रतियोगिता के मूल्याकंन में एकरूपता लाने के लिए अलग से अंकों की बाँट तथा मूल्यांकन हेतु बिन्दु विशेषज्ञों से मंत्रणा उपरान्त उपलब्ध करवा दिए जाएगें।

नोट :– स्कूलों की संख्या और प्रविष्टि को संख्या के आलोक में उक्त क्रमांक 3 से 4 में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

पुरस्कार एंव सम्मान

1. **विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता**:– विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

   तीनों प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार राशि :–

पुरस्कार	खण्ड स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम	1000 रूपये	3000 रूपये	11000 रूपये
द्वितिय	750 रूपये	2000 रूपये	7500 रूपये
तृतीय	500 रूपये	1000 रूपये	5000 रूपये

नोट :– प्रतिभागी को अपनी श्रेणी तथा अपनी प्रतियोगिता में अगले चरण के लिए पुरस्कार हेतु चयनित किए जाने पर प्रतिभागी उच्चतम स्तर का पुरस्कार ग्रहण करने का ही पात्र होगा। (यदि प्रतिभागी राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है तो उसे जिला स्तर और खण्ड स्तर पुरस्कार नहीं मिलेंगें)

मामले में यह भी प्रस्ताव है कि इस विद्यालय स्तरीय आयोजन में लगभग 20000 सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों के लगभग 41 लाख से अधिक बच्चे भाग लेंगे। यह एक ही दिन तथा एक ही समय में आयोजित प्रतियोगिता अपने आप में एक मिसाल है। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, जिला प्रशासन को भी अपने– अपने जिले में आयोजन के लिए दायित्व दिया गया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम के आलोक में अपने–अपने जिले के उपायुक्त

की अध्यक्षता में प्रैस–वार्ता करेंगे तथा सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों, स्कूल मुखियाओं को सफल आयोजन का आह्वान करेंगें।

पर्यवेक्षण

1. सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी और खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने–अपने खण्ड के विद्यालयों (सरकारी और गैर सरकारी) की संख्या अनुसार आधे–आधे बांटकर पर्यवेक्षण करेंगे तथा निश्चित समय पर प्रत्येक स्कूल में आयोजन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए स्कूल मुखियाओं के साथ वांछित पत्राचार पहले ही कर लेंगें और दिशा निर्देश के लिए दिनांक 13.01.2014 को संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे।
2. प्रत्येक जिले में माननीय उपायुक्त महोदय से फाइल पर निवेदन करके प्रशासनिक अधिकारियों जैसे SDM, CTM इत्यादि का पर्यवेक्षण के लिए खण्ड प्रभारी नियुक्त करवायेंगे ।
3. DEO, DEEO, Principal DIET, Deputy DEO भी एक–एक खण्ड के पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे ।
4. आयोजन के दिन सांय 3 बजे निम्न प्रपत्र पर अपने–अपने जिले की रिपोर्ट निदेशालय को E-Mail पर देंगे।

सरकारी विद्यालय **गैर सरकारी विद्यालय**

क्रमांक	श्रेणी	श्रेणी	श्रेणी	श्रेणी
	6 से 8	9 से 12	6 से 8	9 से 12
कुल प्रतिभागी संख्या	–	–	–	–

आयोजन के प्रचार–प्रसार में विभिन्न माध्यमों फेसबुक, whatsapp, इस्टाग्राम, हाइक, सोशल मिडिया का पूरा प्रयोग किया जाए तथा स्कूल अपने–अपने स्कूल की Website/Facebook पेज पर प्रतियोगिता की फोटो अपलोड भी करेंगे। सभी बच्चो को Social Media के माध्यम या अन्य दैनिक प्रार्थना सभाओं के माध्यम से यह अवगत करवाया जाए कि यह प्रतियोगिता उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से वो **"बेटी बचाओं–बेटी पढाओं"** अभियान में तो अपना योगदान देंगे ही बल्कि उन्हे माननीय प्रधान मन्त्री जी के कर कमलों से पुरस्कार ग्रंहण करने का अवसर भी प्रदान करवाती है। इसके लिए उन्हे दिनांक 12 जनवारी से 14 जनवरी तक मानसिक रूप से तैयार किया जाए। सभी स्कूल मुखिया/कक्षा प्रभारी पहले तीन दिन इस विषय पर उन्हे ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, जैसे–कम हो रहा लिगांनुपात, इसकी हानियां, कम महिला साक्षरता दर, इसकी हानियां, हरियाणा की राष्ट्रीय स्थिति तथा इस सन्दर्भ में राष्ट्र की अर्न्तराष्ट्रीय स्थिति आदि। बच्चे Internet के माध्यम से जानकारी हासिल करें तथा पूरे जोश के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तत्पर रहे। आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम को केवल प्रतिस्पर्धापरक कार्यकलाप ही न समझें अपितु इसे एक ऐसा मंच बनाए जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी छात्र/छात्राएं **"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ"** अभियान के प्रति अपना जुड़ाव, लगाव, संवेदना तथा

आत्मीयता का रिश्ता बना सके। आपसे आशा की जाती है कि आप इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु अपने–अपने क्षेत्राधिकर में सफल आयोजन करवाकर इसकी सूचना विभाग को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाएंगे।

ALOK VERMA
IFS
State Project Director
Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad
Panchkula